रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2016/ज्येष्ठ 24, 1938
No. 410] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2016/JYAISTHA 24, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

सा.का.नि. 597(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1963 को जहां तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, उच्च श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः**– पद–संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः**– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताः** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्तिः**– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्तिः— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	32* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(क) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से अनुपयुक्त को नामंजूर करने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है। (ख) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक के विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** 1ः सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता सेवा भारतीय प्राणी–विज्ञान सर्वेक्षण में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी। **टिप्पण** 2ः यदि उपरोक्त खंड (ख) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। **टिप्पण** 3ः सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठयक्रम निम्नलिखित होगाः– (i) साधारण ज्ञान (ii) साधारण अंग्रेजी जिसमें व्याकरण सम्मिलित है। (iii) कार्यालय प्रक्रिया और (iv) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 की डिप्रैशन प्रति घंटा/

		9000 की डिप्रैशन प्रति घंटा के अनुरुप 35 और 30 शब्द प्रति मिनट) **टिप्पण 4**: उन लोगों को जो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती के समय कम्पयूटर पर टंकण परीक्षा पहले ही अर्हित कर ली है उनको कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा से छूट प्राप्त होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)		
प्रोन्नतिः वेतन बैंड—1, 5200—20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्यितयों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पत्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिषों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग के सिफारिशें पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः— (1) निदेशक, भारतीय प्राणी — विज्ञान सर्वेक्षण — **अध्यक्ष** (2) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी— विज्ञान सर्वेक्षण — **सदस्य** (3) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति — विज्ञान सर्वेक्षण — **सदस्य** (4) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट उप निदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी — **सदस्य**	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 02/02/2013—सी एस जेड़]

डॉ. आर. दलवानी, वैज्ञानिक 'जी'/सलाहकार (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2016

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class III posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Zoological Survey of India, under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Upper Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale**. – The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk.	32* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs. 5200-20200 plus grade pay – Rs .2400.	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(a) 75% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from Lower Division Clerk with eight years' regular service in the grade. (b) 25% by promotion on the basis of Departmental Competitive Examination of Lower Division Clerk with five years' regular service in the grade. **Note 1:** The eligibility service for the Limited Departmental Competitive Examination shall be five years' regular service in the grade of Lower Division Clerk in the Zoological Survey of India. **Note 2:** If more of such employees than the number of vacancies are available under clause (b) above qualified at the said Examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier Examination are considered before those who qualify at a later Examination. **Note 3:** The syllabus for Limited Departmental Competitive Examination shall be: (i) General Knowledge, (ii) General English including Grammar, (iii) Office Procedure and (iv) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) **Note 4:** Those who have already qualified the typing test on computer at the time of recruitment through Staff Selection Commission shall be exempted from typing test on computer.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk in pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 with eight years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, Zoological survey of India– Chairman, 2. Head of Office, Zoological Survey of India – Member, 3. Head of Office, Botanical Survey of India –Member, 4. An officer not below the rank of a Deputy Director nominated by the Director, Zoological Survey of India – Member.	Not applicable.

[F. No. 02/02/2013-CSZ]

Dr. R. DALWANI, Scientist 'G'/Advisor (CS)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.